उत्तराखण्ड शासन,
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 220/VII-A-2/2020/40–सिडकुल/2019
देहरादून, दिनांकः 28 मई, 2020

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड, भारत सरकार के **"मेक इन इंडिया कार्यक्रम"** के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में रक्षा और ऐयरोस्पेस उपकरणों/उप–प्रणालियों/घटकों और उपभोग्य सामग्रियों के स्वदेशी डिज़ाइन विकसित और निर्माण (IDDM) को औद्योगिक आधार पर विकसित करने और राज्य के प्रतिभाशाली मानव पूंजीशक्ति का सदुपयोग करके, एयरोस्पेस (रोटरी विंग विमान) और रक्षा उद्योगों से सम्बंधित इंजीनियरिंग, डिजाइन, विनिर्माण और सहबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में भारत के पसंदीदा गन्तव्य के रूप में स्वयं को स्थापित करने के उद्देश्य से **"उत्तराखण्ड एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति, 2020"** बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

"उत्तराखण्ड एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति, 2020"

1. परिचय

बढ़ते रक्षा खर्च, वाणिज्यिक विमानन बाजार में आयी अभूतपूर्व वृद्धि और एक कठिन परिवेश के परिणामस्वरुप भारत एक स्थापित प्रमुख रक्षा और एयरोस्पेस बाजार है। एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के अंतर्गत वाणिज्यिक और सैन्य विमान, मिसाइल, अंतरिक्ष यान, रक्षा प्रणाली, अंतरिक्ष अन्वेषण प्रणाली आदि के डिजाइन, परीक्षण, विकास, निर्माण और रखरखाव की इकाइयां सम्मिलित हैं।

भारत की रक्षा उत्पादन नीति, **"मेक इन इंडिया कार्यक्रम"** के अंतर्गत रक्षा और ऐयरोस्पेस उपकरणों/उप–प्रणालियों/घटकों और उपभोग्य सामग्रियों के स्वदेशी डिज़ाइन विकसित करने और निर्माण (IDDM) को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, भारत की रक्षा ऑफसेट नीति जो घरेलू रूप से उत्पादित रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की अनिवार्य ऑफसेट आवश्यकता को निर्धारित करती है, यह सुनिश्चित करेगी कि आपूर्तिकर्ताओं के लिए देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र (Eco-system) घरेलू रूप से विकसित हो सके। एयरोस्पेस और रक्षा ऑफसेट दायित्वों के तहत 15 वर्षों की अवधि में घरेलू उद्योगों के लिए संचयी अवसरों का अनुमान लगभग 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर है।

भारत में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आज उपलब्ध अवसरों के बढ़ने के कारणों में से एक यह है कि कई मूल उपकरण निर्माता (OEM) अपने आधार केन्द्र को भारत में स्थानांतरित कर रहे हैं।

2. **दृष्टि और उद्देश्य**

अपने औद्योगिक आधार और प्रतिभाशाली मानव पूंजीशक्ति का समुचित दोहन करके, एयरोस्पेस (रोटरी विंग विमान) और रक्षा उद्योगों से सम्बंधित इंजीनियरिंग, डिजाइन, विनिर्माण और सहबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में उत्तराखंड को भारत के पसंदीदा गन्तव्य के रूप में स्थापित करना।

वर्तमान नीति निम्नलिखित उद्देश्यों से तैयार की गई है:–

क) एयरोस्पेस सेक्टर (रोटरी विंग) के विकास के लिए एक सर्वांगीण पारिस्थितिकी तंत्र (एंड–टू–एंड इको–सिस्टम) का निर्माण करना, जिसके अंतर्गत सिविल और रक्षा क्षेत्र के लिए रोटरी विंग विमानों के डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण का कार्य हो।

ख) 5 वर्षों में लगभग एक लाख व्यक्तियों के लिय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना।

ग) विनिर्माण और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तराखंड की निहित शक्तियों का एयरोस्पेस (रोटरी विंग) और रक्षा विनिर्माण में अवसरों की खोज के लिए दोहन करना।

घ) उत्कृष्टता केंद्र(Centre of Excellence), अनुसंधान एवं विकास (R & D) और कौशल विकास संस्थानों की स्थापना करके उच्च स्तर के विनिर्माण के लिए एक वैश्विक कार्यबल तैयार करना।

ड) आवश्यक सुविधा और सहयोग प्रदान करके वैश्विक मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), टियर–1 आपूर्तिकर्ताओं और प्रमुख भारतीय बड़ी कंपनियों को राज्य में एंकर यूनिट्स(Anchor units) की स्थापना हेतु आकर्षित करना।

3. **उत्तराखण्ड राज्य को लाभ**

क) उत्तराखंड औद्योगिक रूप से विकसित और विविध औद्योगिक आधार के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में, वर्ष 2011–12 से वर्ष 2018–19 (AE) के बीच मौजूदा मूल्य के आधार पर लगभग 10.85 प्रतिशत की संचयी वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) में अभिवृद्धि हुई है। राज्य का मजबूत आर्थिक विकास, मुख्य रूप से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन की देन है।

ख) राज्य से हर वर्ष देश के सैन्य बलों में सबसे अधिक संख्या में राज्य के नौजवान सम्मिलित होते हैं। उत्तराखंड निजी क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी है। समस्त राज्यों में से उत्तराखण्ड राज्य में इंजीनियरिंग तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति अन्तर्ग्रहण की क्षमता है।

ग) पर्यावरण के हिसाब से उत्तराखंड ऑप्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसे उद्योग, जिनसे न्यूनतम प्रदूषण होता है, के लिए अनुकूल हैं। उत्तराखंड शून्य अपराध दर वाले अग्रणी राज्यों तथा देश के सबसे शांतिप्रिय राज्यों में से एक है।

घ) राष्ट्रीय राजधानी (नई दिल्ली) तक आसान पहुंच और उत्कृष्ट संचार नेटवर्क, उत्तराखंड में उद्योगों के लिए विपणन, माल की आवाजाही तथा हितधारकों के साथ परस्पर संवाद और गतिविधियाँ को आसान बनाती है।

ड) भारतीय सेना की प्रमुख संस्था भारतीय सैन्य अकादमी, जो भविष्य के रक्षा कमांडरों को तैयार करती है, देहरादून में स्थित है, जो उद्योगों को भविष्य के हितधारकों की तकनीकी समझ को आकार देने के लिए एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

च) उत्तराखंड में रक्षा उत्पादों के कई केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, आयुध कारखाना और सैन्य अनुसंधान विकास संगठन प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:

i) ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्टरी (OLF), देहरादून।
ii) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0, हरिद्वार।
iii) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि0,कोटद्वार।
iv) उपकरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान,देहरादून।
v) डिफेंस इलैक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लैबोरेटरी, देहरादून।
vi) आयुध निर्माणी, देहरादून।
vii) डिफेंस इन्स्टीट्युट ऑफ बायो इनर्जी रिसर्च, हल्द्वानी।

छ)समय के साथ, इन प्रमुख कारखानों ने कई बड़े सहायक उद्योगों की स्थापना की है, जिनमें कई लघु और मध्यम उद्यम(SME) शामिल हैं, जिन्होंने अपनी विनिर्माण क्षमताओं का निर्माण किया है और रक्षा से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित की है।

ज) अनेक स्थानों में मजबूत इंजीनियरिंग/विनिर्माण क्लस्टर और अत्यधिक कुशल कार्यबल के साथ अनुकूल निवेश वातावरण उत्तराखंड को एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादों के निर्माण के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं।

4. <u>एयरोस्पेस (रोटरी विंग विमान) और रक्षा उद्योग संचालित पारिस्थितिकी तंत्र (इको–सिस्टम) के निर्माण के लिए समर्थन</u>

4.1 औद्योगिक अवस्थापना का सृजन और उसको बढ़ाना

1. राज्य सरकार आवश्यक भौतिक अवसंरचना का निर्माण करके एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र (ईको–सिस्टम) के निर्माण में क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण को अपनाएगी।

hl

2. सिडकुल के माध्यम से एयरोस्पेस तथा रक्षा पार्क आधारित बृहत, मध्यम तथा लघु श्रेणी की कम्पनियों की आवश्यकता के दृष्टिगत आवास, ऐयरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए उनके लिए पर्याप्त अवसंरचना सुविधायें विकसित की जायेंगी।
   क) फोर्जिंग, कास्टिंग और निर्माण सुविधायें।
   ख) धातु/समग्र विनिर्माण सुविधायें।
   ग) डिजाइन/ इंजीनियरिंग सेवायें।
   घ) असेंबलिंग की सुविधा।
   ड) रखरखाव की सुविधा।

3. सरकार राज्य के संभावित स्थानों में एयरोस्पेस और रक्षा क्लस्टर के विकास की सुविधा प्रदान करेगी। यह क्लस्टर कॉम्पोनेंट, विनिर्माण, एमआरओ, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी), प्रशिक्षण, उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलेन्स) आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा और यहाँ सामान्य सुविधाएं जैसे कि गोदाम, परीक्षण और प्रमाणन की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
4. सरकार एयरोस्पेस और रक्षा क्लस्टरों को लोक–निजी सहभागिता के माध्यम से विकसित करने का भी प्रयास करेगी। सरकार एयरोस्पेस/रक्षा पार्कों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज और/या सहायता प्रदान करेगी और जहां संभव हो अंशपूँजी के रूप में समर्थन देगी।
5. सरकार प्रमुख भारतीय और वैश्विक मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और टियर –1 एयरोस्पेस और रक्षा प्रणाली के निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए विशेष पहल करेगी। बड़े वैश्विक और इंडियन कॉरपोरेट जगत के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर एरोस्पेस और रक्षा उद्योग क्लस्टर और औद्योगिक क्षेत्रों में एंकर व्यवसायों (anchor businesses) को आकर्षित करने के लिए कदम उठाएगी।
6. सरकार एयरोस्पेस/डिफेंस पार्क्स/क्लस्टर के लिए रेल/सड़क/हवाई संपर्क को सुगम तथा बेहतर बनाएगी।

4.2 मानव संसाधन मैट्रिक्स का सृजन और उसे बेहतर बनाना

प्रतिभा और विभिन्न कौशलयुक्त मानवशक्ति, एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। उत्तराखंड सरकार राज्य में प्रतिभा की गुणवत्ता और मात्रा में अभिवृद्धि के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करेगी और निरंतर सीखने और सुधार के अवसर प्रदान करने के लिए वैश्विक/भारतीय मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)/संस्थानों के साथ लोक–निजी सहभागिता (पीपीपी मोड) के माध्यम से भागीदारी करते हुए एयरोस्पेस और रक्षा विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण हेतु मौजूदा आई टी आई/पॉलिटैक्निक/ इंजीनियरिंग

कॉलेजों/फ्लाइंग प्रशिक्षण स्कूलों और विश्वविद्यालयों को उन्नत बनाएगी या नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना करेगी । राज्य विभिन्न अनुसंधान संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तकनीकी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों तथा राज्य के अन्य संस्थानों के साथ स्वयं या अन्य संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से गठजोड़ करेगा।

4.3 उद्योगों को उधार समर्थन

एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग एयरक्रॉफ्ट/रक्षा प्रणालियों के प्रमुख निर्माताओं और उनके विक्रेताओं (वेंडर) पर निर्भर करता है। उनके साथ साझेदारी पारिस्थितिकी तंत्र (इको–सिस्टम) बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। सरकार इस तरह की साझेदारी के निर्माण के लिए समर्थन सुनिश्चित करेगी, जिसके लिए विशेष भागीदारी सम्मेलन, उद्योग शिखर सम्मेलन/कार्यक्रम/प्रदर्शनियां, व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) मीटिंग, निवेशक शिखर सम्मेलनों के साथ ही उत्तराखंड सरकार द्वारा विशेष प्रतिनिधिमंडल विभिन्न बड़े निर्माताओं आदि के यहाँ भेजे जाएंगे। उत्तराखंड सरकार एयरोस्पेस एवं डिफेंस पार्कों में विदेशी/घरेलू निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय (MoD) के अधीन डीफ़ेन्स ऑफसेट फैसिलिटेशन एजेन्सी (DOFA) और डीफ़ेन्स ऑफसेट मैनेजमेंट विंग (DOMW) के साथ संवाद के लिए उद्योगों को आवश्यक समर्थन प्रदान करेगी जिससे वे अपने ऑफसेट संविदात्मक दायित्वों को पूरा कर सकें।

4.4 अनुसंधान और विकास

एयरोस्पेस व डिफेंस सेक्टर अनवरत वृद्धि के लिए मजबूत अनुसंधान और विकास आधार और एकेडमिया– इंडस्ट्री से नजदीकी संवाद की मांग करता है। नवाचार तकनीक और विचारों का शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में ऊष्मायन किया जाना होगा। सरकार, राज्य में एयरोस्पेस और रक्षा अनुसंधान सुविधाएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। विशिष्ट अनुसंधान नवाचरों के लिए मौजूदा संस्थानों में प्रयोगशालाये स्थापित करने और उन्हे अपनाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ अनुसंधान एवं विकास हेतु सहयोग लेने के लिए सहायता दी जायेगी।

4.5 प्रमाणन और अनुपालन

एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग अत्यधिक विनियमित हैं और सभी निर्मित पुर्जे और सेवाओं को उनकी विश्वसनीयता के लिए प्रमाणित किया जाना होता है। प्रमाणन एक अनिवार्य और विस्तृत प्रक्रिया है जिसे समर्थन की आवश्यकता है। केस टू केस आधार पर एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों को आवश्यक प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

4.6 रक्षा औद्योगिक गलियारे का विकास

उत्तराखंड सरकार ने अपने वर्ष 2018–19 के बजट में यह घोषणा की है कि राज्य से पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड में औद्योगिक उत्पादन गलियारा विकसित किया जाएगा। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय (MoD) से राज्य में औद्योगिक इकाइयों के साथ परस्पर बैठकें करने के लिए संपर्क किया जाएगा। राज्य सरकार के अधिकारी सभी बैठकों में भाग लेंगे और रक्षा मंत्रालय को क्रियान्वयन योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करेंगे। उत्तराखंड में कई औद्योगिक इकाइयां, क्लस्टर के रूप में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और सेवाओं के लिए परिचालित हैं। राज्य सरकार रक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श करके राज्य में अधिक निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारे की स्थापना हेतु सभी सहायता और सुविधायें प्रदान करेगी।

5. एयरोस्पेस (रोटरी विंग विमान) और रक्षा क्षेत्र में उद्योगों के लिए प्रोत्साहन और रियायतें

दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025 तक अधिसूचित एयरोस्पेस एवं रक्षा पार्क/क्लस्टर और उद्योग, जो अधिसूचित एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग पार्क या क्लस्टर में स्थापित किए जाएंगे, इस नीति के तहत निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों के लिए पात्र होंगे:

5.1 आधार इकाई सहायिकी (सब्सिडी)(Anchor Unit Subsidy)

प्रथम 5 एयरोस्पेस एवं रक्षा मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)/टियर –1 उद्यमों और / या उनके आपूर्तिकर्ताओं (Anchor Units), जिनमें रू. 100 करोड़ या उससे अधिक का अचल पूंजी निवेश तथा 100 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जाना हो, को अचल परिसम्पत्तियों में किये गये कुल पूंजी निवेश का 10 प्रतिशत,(अधिकतम सीमा रू. 10 करोड़) होगी, आधार इकाई सहायिकी **(Anchor Unit Subsidy)**के रूप में अनुदान स्वरूप दी जायेगी। परियोजना में प्रस्तावित कुल अचल पूंजी निवेश, अधिकतम 3 साल के भीतर किया जाना होगा।

5.2 कौशल विकास सहायिकी(सब्सिडी)

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि प्रशिक्षित मानव संसाधन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है, "नौकरी पर" (on job) तकनीकी प्रशिक्षण की लागत का एक वर्ष के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम प्रति प्रशिक्षु के लिए प्रति माह रू. 5000/– तथा प्रति इकाई

अधिकतम 20 प्रशिक्षुओ की सीमा तक, प्रतिपूर्ति की जाएगी। कंपनियां अपने प्रशिक्षुओं/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने और कौशल सेट को उन्नत करने के लिए नामित कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों में भी प्रशिक्षित करा सकते हैं।

5.3 प्रमाणन प्रक्रिया सहायिकी (सब्सिडी)

प्रमाणन प्रक्रिया और उस पर होने वाला खर्च एयरोस्पेस उद्योगों के सामने आने वाली प्रमुख आर्थिक चुनौतियों में से एक है। रक्षा क्षेत्र में कई उत्पादों के लिए कई प्रमाणीकरण प्रक्रियायें हैं। कई उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त निकायों से प्रमाणन की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 25 लाख प्रति इकाई की सीमा के अधीन प्रमाणीकरण प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।

5.4 भूमि सहायिकी (सब्सिडी)

इस नीति के लागू होने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर जिन एयरोस्पेस/रक्षा औद्योगिक इकाइयों को सिडकुल द्वारा प्रवर्तित एयरोस्पेस और डिफेंस पार्कों में भूमि आवंटित की जायेगी, उन इकाइयों को सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि की कुल लागत पर 20 प्रतिशत की दर से रियायत (छूट)/प्रतिपूर्ति सहायता निर्दिष्ट नियम और शर्तो के अधीन दी जाएगी। इस सम्बन्ध में नियमानुसार सिडकुल अपनी बोर्ड बैठक में भूमि पर अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में विचार कर निर्णय लेगा।

5.5 इकाईयों के लिए पूंजीगत सहायिकी(सब्सिडी)

नई एयरोस्पेस और रक्षा–सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) औद्योगिक इकाइयों तथा लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा एवं सुपर अल्ट्रा मेगा नयी तथा विस्तारीकरण की इकाइयों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति तथा मेगा इण्डिस्ट्रयल एवं इन्वेस्टमेन्ट नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

5.6 एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए पूंजीगत सहायिकी (सब्सिडी)

एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग पार्कों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन विकासकर्ता को पात्र अचल संपत्तियों पर 10 प्रतिशत की दर से इन्फ्रास्ट्रक्चर बैक एन्डेड कैपिटल सब्सिडी (Infrastructure back ended capital subsidy) प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि पार्क न्यूनतम 50 एकड़ में विकसित किया गया हो। रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहौलिंग (मेंटिनेंस, रिपेयर एण्ड ओवरहॉलिंग) कॉम्प्लेक्स का विकास भी इस पूंजीगत उपादान सुविधा के लिए पात्र हैं।

5.7 विद्युत कर छूट

नये एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों को उत्पादन कार्य हेतु उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) से खरीदी गई या केपटिव स्रोतों से उत्पन्न और उपयोग किये गये विद्युत भार पर, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पहले 5 वर्षों के लिए, देय विद्युत कर में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। विस्तारीकरण की ऐसी परियोजनाओं को विस्तारीकरण में खपत होने वाली अतिरिक्त बिजली के उपयोग पर 5 वर्ष तक, विद्युत बिलों में देय विद्युत कर से छूट दी जायेगी।

5.8 स्टाम्प ड्यूटी रियायत

सिडकुल द्वारा प्रवर्तित औद्योगिक आस्थानों/एयरोस्पेस/रक्षा पार्कों में स्थित एयरोस्पेस /रक्षा परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित भूमि के पट्टे (लीज) या भूमि की बिक्री पर देय स्टाम्प शुल्क में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति तथा मेगा इण्डिस्ट्रीयल एवं इन्वेस्टमेन्ट नीति के प्राविधानों के अनुसार छूट/प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जायेगी।

5.9 पर्यावरण संरक्षण अवस्थापना उपादान

व्यक्तिगत विनिर्माण इकाइयों द्वारा स्थापित समर्पित एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान्ट (Effluent Treatment Plant) और/या खतरनाक अपशिष्ट उपचार भंडारण और निपटान सुविधा (Hazardous Waste Treatment Storage and Disposal Facility) के संयंत्र की स्थापना हेतु सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति/ मेगा इण्डिस्ट्रीयल एवं इन्वेस्टमेन्ट नीति के प्राविधानों के अनुसार स्थापना लागत में प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जायेगी।

5.10 ऑफसेट दायित्व प्रोत्साहन

उत्तराखंड में स्थित नई/मौजूदा विनिर्माण इकाइयाँ जो रक्षा मंत्रालय के ऑफसेट दायित्वों की आवश्यकताओं के अधीन परियोजनाएँ ले रही हैं, उन्हें विशेष प्रोत्साहन पैकेज के रूप में सिडकुल द्वारा प्रवर्तित औद्योगिक पार्क/एयरोस्पेस और रक्षा पार्क में आवंटित भूमि की कुल लागत पर 30 प्रतिशत रियायत (छूट)/प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करेगी। इस सम्बन्ध में नियमानुसार सिडकुल अपनी बोर्ड बैठक में विचार कर निर्णय लेगा।

5.11 विशेष पहल

नागरिक/सैन्य विमानों, मुख्य युद्धक टैंकों और अन्य एयरोस्पेस और रक्षा प्लेटफार्मों और उपकरणों के विनिर्माण और संयोजन(असेम्बलिंग) परियोजना की महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि वे राज्य में एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक इकाइयों के फैलाव और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेंगी। राज्य में डिजाइन विकास, विनिर्माण, परीक्षण और प्रमाणन की

संयुक्त जिम्मेदारियों के साथ निजी उद्योगों की ऐसी परियोजना को विशेष पहल माना जाएगा और सरकार सिडकुल के साथ साझेदारी में, इस तरह के संयुक्त उद्यम की इक्विटी के रूप में विशेष वित्त पोषण को मंजूरी देने पर विचार करेगी।

5.12 श्रम सैक्टर की पहल

श्रमिक कल्याण से समझौता किए बिना श्रम कानूनों में लचीलापन अपनाया जाएगा। लागू श्रम कानूनों के अधीन और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का केंद्रीय अधिनियम 20) के मापदंडों के अधीन, रोजगार की शर्तों में लचीलापन, महिलाओं के लिए काम के घंटे में कमी और काम के समय की लंबी और कम अवधि सहित 24x7 कार्य संचालन (3 पाली में), रात की पाली में महिलाओं द्वारा काम करना और अनुबंध पर श्रमिकों को काम पर रखने में लचीलेपन की आवश्यकता की सीमा तक अनुमति दी जाएगी।

6. पात्रता और अन्य प्रावधानः

1. किसी विद्यमान कम्पनी के भीतर कम्पनी द्वारा स्थापित नई विनिर्माण सुविधाएं (या) एक नई साइट में (या) एक आसन्न खाली साइट में एक उत्पाद के विनिर्माण के लिए जो पहले से ही विद्यमान इकाई में विनिर्मित हो रहा है या पूरी तरह से नया उत्पाद, नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन के उद्देश्य के लिए एक विस्तार इकाई के रूप में इस शर्त के अधीन व्यवहारित किया जायेगा कि पुरानी इकाई में उत्पादन की मात्रा / मूल्य संरक्षित रहे।
2. "पर्वतीय क्षेत्र" का अर्थ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति--2015 (यथासंशोधित--2016, 2018 व 2019) में वर्गीकृत श्रेणी--ए, बी व बी+ के क्षेत्रों/जनपदों से है।
3. इस नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक इकाइयां परिशिष्ट --1 में परिभाषित की गई हैं।
4. पात्र अचल संपत्तियों (EFA) को परिशिष्ट -- 2 में परिभाषित किया गया है।
5. प्रत्यक्ष रोजगार या प्रत्यक्ष नौकरी की परिभाषा परिशिष्ट --3 पर है।
6. यह नीति राज्य की मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी--2015 (यथासंशोधित--2016 व 2018), बृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति--2018 तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति--2015 (यथासंशोधित--2016, 2018 व 2019) या उक्त नीतियों में भविष्य में होने वाले संशोधनों/परिवर्तनों के अनुरूप एक दूसरे की पूरक होंगी।
7. इस नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं का दावा करने वाली पात्र इकाईयां अर्हता के आधार पर राज्य की मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति, बृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा कर सकते हैं, बशर्ते कि इस नीति में समान/समरूप शीर्ष

के अधीन कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है। यदि, कोई केंद्रीय सब्सिडी या प्रोत्साहन एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध है, तो ऐसी पात्र इकाइयों को सबसे पहले भारत सरकार की योजनाओं के तहत उपादान हेतु आवेदन करेंगी। यदि प्रोत्साहन के बीच कोई अंतर है, तो ऐसी इकाई समान नीतियों के तहत उपरोक्त नीतियों में शेष राशि / प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती है।

8. केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत एक ही घटक के लिए एक ही स्रोत से पूंजीगत उपादान सहायता अनुमन्य होगी, किन्तु इकाईयों के पास यह विकल्प होगा कि किसी योजना विशेष में पूंजीगत उपादान की सीमा/मात्रा यदि अधिक है, तो वह उस सुविधा के लिए सम्बन्धित योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।
9. राज्य सरकार के पास जनहित में इस नीति के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. यह नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त (हुई समझी जायेगी) एवं दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः (1)/ VII-A-2/2020/40–सिडकुल/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त सचिव (एयरोस्पेस), रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 19.10.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रीगण के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. सचिव, गोपन(मंत्रिपरिशद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल।
8. महानिदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14. गार्ड फाइल।

(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव।

परिशिष्ट–1

एयरोस्पेस / रक्षा उद्योगों की परिभाषा

इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, पात्र एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक इकाइयों को इस रूप में परिभाषित किया गया है, जो इस तरह की सामग्री, घटकों/सब–असेंब्लीज हेतु डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, सर्विसिंग एवं आपूर्तिपूरी तरह से या आंशिक रूप सेमूल उपकरण निर्माता/टीयर–I / टीयर–II / टियर–III कंपनियां अर्थात् एयरोस्पेस एवं रक्षा उद्योग की प्रमुख कम्पनियों, जिसमें हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि0, इसरो, भारत सरकार के सभी रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, यथाः आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट सम्मिलित हैं, को कर रही हों। विमान हैंगर कीमेंटिनेंस, रिपेयर एवं ऑवरहौलिंग भी एयरोस्पेस / रक्षा उद्योग के रूप में माना जाएगा।

सभी उद्योग इकाइयाँ जिन्हें AS9100 प्रमाणन मिला है, उन्हें एयरोस्पेस / रक्षा से संबंधित औद्योगिक / सेवा इकाइयाँ माना जायेगा।

एयरोस्पेस / रक्षा उद्योग इकाई की परिभाषा पर व्याख्या के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा आवश्यक होने पर दिया जा सकता है।

एयरोस्पेस और डिफेंस पार्क को निजी / सरकारी / सार्वजनिक निजी सहभागिता के प्रवर्तकों द्वारा प्रचारित एक औद्योगिक पार्क के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें न्यूनतम 50 एकड़ विकसित भूमि के साथ सभी सम्बनिधत बुनियादी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हैं औरजहां पर कम से कम 50 प्रतिशत एयरोस्पेस और रक्षा सम्बन्धी इकाईयां स्थित हों।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

पात्र अचल संपत्तियों (EFA) की परिभाषा

"पात्र अचल संपत्तियों (EFA)" का अर्थ स्थायी भवन, संयंत्र, स्वदेशी मशीनरी और उपकरण, नए आयातित मशीनरी और उपकरण, कंप्यूटर उपकरण, सामग्री हैंडलिंग उपकरण (जैसे कि फोर्कलिफ्ट, क्रेन आदि), टूल डाइ, मौल्ड्स, जिग्स और फिक्सचर और इसी प्रकार के उत्पादन टूल जो प्लांट के भीतर इस्तेमाल होने वाले या उत्तराखंड में कहीं भी स्वामित्व में या उपयोग में, उपकरण, बिजली के प्रतिष्ठानों, प्रदूषण नियंत्रण और गुणवत्ता नियंत्रण और प्रयोगशाला के उपकरण, फिक्सचर, ट्यूब, पाइप, फिटिंग और भंडारण टैंक, परियोजना द्वारा भुगतान की गई सीमा के अन्तर्गत हों।

इस शब्द में अपशिष्ट उपचार सुविधाएं, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, कैप्टिव पावर प्लांट और स्थापना शुल्क सहित परिसर में उपयोग के लिए स्थापित अन्य सहायक सुविधाएं भी सम्मिलित हैं। सभी सृजित अचल संपत्तियों का भुगतान किया होना चाहिए और परियोजना कम्पनी के स्वामित्व में होनी चाहिए। सभी अचल परिसंपत्तियों (टूल्स, डाइज, मोल्ड्स, जिग्स और फिक्स्चर और इसी तरह के उत्पादन टूल्स को छोड़कर) की स्थापना और उपयोग केवल प्रोजेक्ट साइट के भीतर किया जाना चाहिए।

कुल पात्र अचल संपत्ति का 20 प्रतिशत तक कैप्टिव पावर प्लांट (विंडमिल / सोलर फार्म सहित) में निवेश के लिए अनुमति दी जाएगी, बशर्ते 50 प्रतिशत ऊर्जा कैप्टिव यूज के लिए हो।

उक्त शब्द "पात्र अचल परिसंपत्तियों (EFA)" में भूमि (विकास लागत जैसेबाउण्ड्री वॉल, आंतरिक सड़कों और अन्य बुनियादी अवस्थापना की सुविधाओं का निर्माण को मिलाकर) और अमूर्त संपत्ति' शामिल नहीं है।

हालांकि एयरोस्पेस एवं रक्षा औद्योगिक पार्क के विकास के लिए कैपिटल सब्सिडी के मामले में "पात्र अचल संपत्तियों (EFA)" में विकास लागत जैसे बाउण्ड्री वॉल का निर्माण, आंतरिक सड़कों का निर्माण और अन्य बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं शामिल होंगी।

lu

'"अमूर्त संपत्ति"(Intangible Assets) का अर्थ होगा तकनीकी जानकारी शुल्क, अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय, पूर्व–संचालन व्यय, योजना शुल्क, उत्पादों के डिजाइन और और प्रोटोटाइप के विकास पर खर्च आदि।

"पात्र निवेश" का मतलब होगा और इसमें पात्र अचल परिसंपत्तियां शामिल होंगी और निम्नलिखित पर जो निवेश किया गया है:

1. पात्र इकाई के स्थान के विकास की लागत, जिस पर परियोजना स्थापित की जानी है।
2. मेगा प्रोजेक्ट द्वारा अधिगृहीत टूलिंग, जो राज्य के भीतर मेगा प्रोजेक्ट के विभिन्न विक्रेताओं / सहायक इकाइयों को दिया गया है, मेगा प्रोजेक्ट के कुल संयंत्र और मशीनरी का अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित होगा।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट–3

प्रत्यक्ष रोजगार या प्रत्यक्ष नौकरी

प्रत्यक्ष रोजगार या प्रत्यक्ष नौकरी का अर्थ उन सभी सेवाओं से होगा जो नियोजित कर्मचारियों द्वारा की जाती हैं जो संबंधित कंपनियों के रोल पर होते हैं, जिसमें उत्पादन लाइन में लगे अनुबंध पर नियोजित श्रमिक भी शामिल होंगे। हालांकि इसमें तथापि आकस्मिक आधार पर नियोजित कर्मकर शामिल नहीं होंगे। आबद्ध किए गए अनुबंधित/आउटसोर्स कर्मकरों की संख्या कुल नियोजित कर्मकरों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव